महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय

चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

पत्रांक- क्रय/2022-121

कोटेशन आमंत्रण पत्र

दिनांक : 26.12.2022

विषय :- **सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रण।**

महोदय,

विश्वविद्यालय निम्नलिखित सामग्रीयों की आपूर्ति हेतु मुहरबन्द कोटेशन आमंत्रित करता है। विश्वविद्यालय में कोटेशन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 09.01.2023 समय 4.00 P.M. बजे तक होगी। प्राप्त कोटेशनों को खोलने की तिथि 09.01.2023 समय 4:30 P.M. बजे निर्धारित है। सामग्रीयों का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	सामग्री का पूरा विवरण	मात्रा	टिप्पणी
	इनोवा वाहन की दरें निम्नानुसार आमंत्रित हैं (किराये पर वाहन संयोजित करने हेतु) 1- किराया वाहन चालक सहित अ- मासिक ब - दैनिक स - प्रति किलोमीटर (AC सहित) द - प्रति किलोमीटर नान एसी 2- किराया वाहन चालक रहित अ - मासिक ब - दैनिक स - प्रति किलोमीटर (एसी सहित) द - प्रति किलोमीटर, नान एसी	01	

आवश्यक निर्देश एवं शर्तें :-

1. विलम्ब से प्राप्त होने वाले कोटेशनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. कोटेशन मुहबन्द होनी चाहिए तथा लिफाफे के ऊपर बड़े शब्दों में सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन तथा कोटेशन खुलने की तिथि अंकित होनी चाहिए।
3. कोटेशन में सभी मूल्य एफ0ओ0आर0, चित्रकूट पर देय हो।
4. टैक्स, भाड़ा, बीमा, पैकिंग एवं फारवर्डिंग आदि यदि लागू हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख कोटेशन में किया जाना चाहिए।
5. समस्त विवाद हेतु सतना न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होगा।
6. विश्वविद्यालय प्रशासन को समस्त अथवा किसी भी कोटेशन को बिना कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. जहाँ आवश्यक हो, कोटेशन के साथ माँग के अनुरूप धरोहर राशि प्रेषित की जानी आवश्यक है।
8. अन्य नियम एवं शर्तें पार्श्व में संलग्न हैं।

क्रय अधिकारी

महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट– सतना (म.प्र.)

वाहन किराया पर लिए जाने के सम्बंध में अतिरिक्त शर्ते

1. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड वाहन ही किराये पर लिया जायेगा ।
2. वाहन में डीजल की खपत शासन द्वारा जारी एवरेज के मापदंड के अनुरूप होगी परन्तु वाहन का एवरेज 10 किलोमीटर प्रति लीटर से कम नही होगा । 10 किलोमीटर प्रति लीटर से कम एवरेज होने पर निविदाकर्ता से राशि वसूल की जायेगी ।
3. वाहन चालक उपलब्ध नही कराने की दशा में जारी कलेक्टर दर अनुसार कुशल वाहन चालक (श्रमिक) के लिए स्वीकृत दर पर वाहन किराया में से कटौती की जावेगी ।
4. किराया अवधि में डीजल को छोडकर वाहन में अन्य सभी प्रकार के मरम्मत, टायर, टयूब, बैटरी आदि के व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन निविदाकार की होगी ।
5. वाहन चालक के पास नियमानुसार वैद्य डाइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है ।
6. वाहन का पंजीकरण, बीमा व वाहन से सम्बंधित अन्य सभी प्रकार के वैधानिक दस्तावेज होना आवश्यक होगा तथा वाहन चालक के वेतन के साथ समस्त खर्चे का वहन करने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा ।
7. निविदाकार को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर किसी भी शासकीय,अर्द्धशासकीय संस्था अथवा केन्द्र शासित संस्था द्वारा प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है । शपथ पत्र यदि गलत पाया जाता है अथवा शिकायत की पुष्टि होती है तो संस्था का निविदा आवेदन/अनुबंध को समाप्त कर उसकी धरोहर राशि राजसात कर अगले न्यूनतम दर एल 2 से एल 1 की दर पर कार्य कराया जायेगा ।
8. वाहन के मासिक किराये का भुगतान अनुमोदित दरों के अनुसार किया जायेगा । शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमानुसार कर पृथक से देय होगा ।
9. वाहन वर्ष 2020 के पूर्व का पंजीकृत नही होना चाहिए ।
10. वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सामान्यतः 2 घंटे में सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा । वाहन 2 घंटे से अधिक खराब रहने पर उस दिन का किराया नही दिया जायेगा ।
11. शासकीय यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थान पर भी ले जाया जा सकेगा ।
12. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है । वाहन मे स्टेपनी चारों पहियों के टायर टयूब व माइलो मीटर उत्तम एवं चालू हालत में होने की जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता/निविदाकार की होगी ।
13. मासिक किराये में लगे वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर के उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई बंधन नही होगा ।
14. वाहन उपयोग कर्ता अधिकारी शासकीय कार्य के अतिरिक्त वाहन को अपने कार्यक्षेत्र/जिले से बाहर ले जाने की अनुमति नही होगी ।
15. निविदाकार द्वारा अनुबंधित वाहन के वाहन चालक का एम्प्लाई प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) का नियमित कटौती करना अनिवार्य होगा ।

16. दरें आगामी एक वर्ष के लिए लागू रहेंगी तथा सेवायें संतोषप्रद होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति उपरान्त अनुबंध आगामी वर्ष के लिए पूर्व स्वीकृत दरों पर बढाये जाने पर विचार किया जा सकता है।
17. वाहन किराये पर लेने के लिए वाहनों की संख्या समय समय पर कुलपति द्वारा निर्धारित की जावेगी तथा वाहनों की मांग /आवश्यकतानुसार होने पर तुरन्त निविदाकार को अनुबंध की शर्तो के अनुसार वाहन उपलब्ध कराना होगा । मांग अनुसार वाहन उपलब्ध नही कराने की स्थिति में उसके द्वारा जमा कराई गयी प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी ।
18. वाहन आवश्यकतानुसार किराये पर लिया जायेगा । आवश्यकता नही होने पर किसी भी समय एकपक्षीय रूप से पृथक किया जा सकेगा ।
19. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कुलपति का होगा ।
20. वाहन की लाग बुक तैयार की जायेगी एवं उसे नियमानुसार संधारित किया जायेगा ।
21. कोटेशन के साथ रू0 दस हजार मात्र की प्रतिभूति राशि एफ0डी0 या नगद के रूप में जमा करना आवश्यक है ।

क्रय अधिकारी